रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230097
CG-DL-E-01102021-230097

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/ आश्विन 8, 1943
No. 566]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 686(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन और टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ... .. संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में यथा निहित के अलावा, ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 115क के उप-नियम (10) की तालिका-2 के अंतर्गत नोट्स के मद (xvii) में निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"बशर्ते कि सीईवी स्टेज- IV और सीईवी स्टेज- V के लागू होने की तारीख से पूर्व निर्मित यान इस नियम के लागू होने की संबंधित तारीख के पश्चात् क्रमशः आठ महीने और छह महीने तक रेजिस्ट्रीकृत होंगे।"

[फा. सं.आरटी-11028/22/2016-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. ....(अ), दिनांक 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.......(अ) के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

G.S.R. 686(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short Title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 115A, sub-rule (10), in the Notes under Table-2,in item (xvii), the following proviso shall be substituted:-

"Provided that the vehicles manufactured before the date of applicability of CEV Stage- IV and CEV Stage-V shall be registered up to eight months and six months respectively, after the respective date of implementation of this rule."

[F. No.RT-11028/22/2016-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R …...(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. …..(E) dated the…………..

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.10.01 12:05:21 +05'30'